

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम  
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141-2228066, फैक्स नः 0141-2228065

ई-मेल : [rmsc@nic.in](mailto:rmsc@nic.in)

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2017/1454

दिनांक : 22/12/2017

**कार्यालय आदेश**

M/s Nandani Medical Laboratories Pvt. Ltd., 221/5, Bicholi Hapsi, Kanadia Road, Indore को वर्ष 2015-16 हेतु औषधियों की निविदा क्रमांक F.02 (158)/RMSC/PROCUREMENT/DRUG/NIB-08/2015/1069 दिनांक 07/08/2015 के तहत औषधि Amikacin Sulphate Inj. IP 250mg [504] सप्लाई करने तथा सप्लाई की गई औषधि के अमानक घोषित होने के कारण निगम की अनुशासनात्मक समिति की अनुशंसा के आधार पर निविदा की शर्त संख्या 19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण डिबारिंग-नीति के क्लॉज 4.6 (2) के तहत निर्माता M/s Nandani Medical Laboratories Pvt. Ltd., 221/5, Bicholi Hapsi, Kanadia Road, Indore को आदेश सं. प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2017-18/495 दिनांक 07/07/2017 द्वारा निगम द्वारा जारी किये जाने वाली निविदाओं में भाग लेने हेतु दो (2) वर्ष की अवधि के लिये डिबार किया गया था। डिबार की अवधि आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी थी।

फर्म M/s Nandani Medical Laboratories Pvt. Ltd., 221/5, Bicholi Hapsi, Kanadia Road, Indore द्वारा निगम के आदेश सं. प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2017-18/495 दिनांक 07/07/2017 से व्यथित होकर निविदा के Annexure-IX की धारा-8 के अन्तर्गत अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। अपीलीय अधिकारी एवं प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्णय दिनांक 15.12.2017 के अनुसरण में अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.07.2017 में आंशिक संशोधन करते हुए अपीलार्थी फर्म M/s Nandani Medical Laboratories Pvt. Ltd., 221/5, Bicholi Hapsi, Kanadia Road, Indore की औषधि Amikacin Sulphate Inj. IP 250mg [504] को पूर्व आदेश की तिथि से तीन (3) वर्ष के लिए एतद्द्वारा डिबार किया जाता है।

(महावीर प्रसाद शर्मा)  
प्रबन्ध निदेशक  
आर.एम.एस.सी.

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2017-18/1454

दिनांक : 22/12/2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।
3. मिशन निदेशक, एन.एच.एम.।
4. निदेशक, पी.एच./आर.सी.एच./एच.ए./ए.आई.डी.एस./एम.एस.यू/आई.ई.सी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश।
6. औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली।
7. औषधि नियंत्रक, राजस्थान/मध्य प्रदेश।
8. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
9. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
10. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट)/वित्त/एल/ई.पी.एम एण्ड ए.जी.एम.(आई.टी) आर.एम.एस.सी.।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, राजस्थान।
12. समस्त चिकित्सा सेवा निगम, गुजरात/केरल/तमिलनाडु/बिहार/छत्तीसगढ़/पश्चिम बंगाल/कर्नाटक/हरियाणा/मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र/जम्मू कश्मीर।
13. M/s Nandani Medical Laboratories Pvt. Ltd., 221/5, Bicholi Hapsi, Kanadia Road, Indore
14. आदेश पत्रावली।

कार्यकारी निदेशक (क्यू.सी.)  
आर.एम.एस.सी.